वस्त्र मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1497
29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

" पहचान कार्ड योजना के तहत पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर"

1497. श्री नवसकानी के:
श्री सेल्वम:
श्री सी एन अन्नादुरई:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पहचान कार्ड योजना के अंतर्गत पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या कितनी है;
(ख) वस्त्र मंत्रालय की विभित्र योजनाओं के अंतर्गत पहचान कार्ड धारक हस्तशिल्प कारीगरों को उपलब्ध लाभों और अधिकारों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत पहचान कार्ड धारकों को कौशल विकास कार्यक्रमों, डिज़ाइन प्रशिक्षण, विपणन सहायता, ऋण सुविधा और स्वास्थ्य/जीवन बीमा में प्राथमिकता दी जाती है;
(घ) पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना और सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं से लाभान्वित हुए हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या कितनी है;
(ड़) क्या सरकार ने कारीगरों की आजीविका को बढ़ाने और उनके कल्याण में उपरोक्त योजनाओं की प्रभावशीलता के संबंध में कोई प्रभाव मूल्यांकन या लाभार्थी प्रतिक्रिया सर्वेक्षण कराया है; और
(च) यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकनों के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): पहचान कार्ड कार्ड पहल के तहत तमिलनाडु राज्य में पंजीकृत कारीगरों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	2022-2023	2023-2024	2024-2025	कुल (पिछले तीन वर्षों में)	कुल (जून 2025 तक)
पंजीकृत कारीगर	5,356	3,219	5,599	14,174	84,311

(ख): वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) नामक दो योजनाओं को लागू करता है। इन योजनाओं के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी समर्थन, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से कारीगरों को एंड-टू-एंड सहायता के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो पूरे देश में पारंपरिक शिल्प और हस्तशिल्प कारीगरों को लाभान्वित करते हैं।

(ग): केवल पहचान कार्ड धारक विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(घ):पिछले पाँच वर्षों के दौरान एनएचडीपी एवं सीएचसीडीएस और वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत लाभान्वित हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (जून 2025 तक	कुल
लाभान्वित हस्तशिल्प कारीगर	95,284	1,48,358	1,20,164	1,05,144	1,02,601	7,836	5,79,387

(ङ): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनी सभी योजनाओं के लिए " Beneficiaries sentiments survey of schemes and initiatives " नामक एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में एनएचडीपी और सीएचसीडीएस को भी शामिल किया गया था।

(च): अध्ययन में लाभार्थियों पर योजनाओं के बहुमुखी प्रभाव को शामिल किया गया।अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है कि, 70% से अधिक लाभार्थियों ने आय में सुधार और आजीविका में सुधार की सूचना दी, 75% से अधिक ने अपने उत्पादन मानकों में ठोस प्रगति का सुझाव दिया, 60% से अधिक ने उत्पादकता और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, 34% ने नए बाजारों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना किया, 69% लाभार्थियों का मानना है कि यह योजना सभी संबंधित हितधारकों को कवर करती है और लगभग 80% लाभार्थी इस बात से सहमत थे कि इस योजना का व्यक्तिगत स्तर पर और साथ ही दीर्घावधि में उनके व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उपरोक्त अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने वार्षिक विपणन कैलेंडर में नए स्थानों को शामिल करके नए बाजारों तक कारीगरों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक संतृप्ति योजना तैयार की, ताकि कारीगरों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न मापदंडों के आधार पर बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

*****